

परियोजना का नाम :- मसूरी सीवरेज योजना (आरकेडिया ज़ोन)

अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र

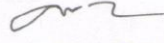
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा याचित 0.020 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।


प्रयोक्ता एजेन्सी
Construction Division
Uttarakhand Pwajai Nigam
Mussoorie (Dehradun)


प्रमोगीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
देहरादून


नायब तहसीलदार
मसूरी


जिलाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी राजि
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी